न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 21/2021 (उदयपुर डिक्री)

1. भैरू डांगी पिता पूरा जी डांगी, निवासी नौखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. पेमा डांगी पिता पूरा जी डांगी, निवासी नौखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. कन्ना डांगी पिता पूरा जी डांगी, निवासी नौखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती नन्दू कुमारी पत्नी गोविन्दलाल डांगी, नि. झाडोल, तहसील सराडा हाल निवासी 102–बी, श्री गणपति अपार्टमेन्ट, न्यू भोपालपुरा, उदयपुर।
2. श्रीमती लेहरी बाई पत्नी स्वर्गीय निर्मल कुमार डांगी, निवासी झाडोल, हाल मुकाम उदयपुर सलुम्बर रोड़, उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰अ॰–1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा
दिनांक 05.01.2021 प्र.सं. 326/2019

———/———

उपस्थित :– 1– श्री कैलाश नागदा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 3

———::———

निर्णय **दिनांक 05–11–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा तितरडी, तहसील गिर्वा में खाता संख्या 74 की आराजी नंबर 2586 से 2589 कुल किता 4 रकबा 0.9800 हैक्टर एवं खाता संख्या 78 की आराजी नंबर 2595 से 2597 कुल किता 3 रकबा 0.7650 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिसमें से प्रतिवादी संख्या 4 रोड़ा ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात में अपना पूरा 1/4 हिस्सा वादीगण को दिनांक 18–03–2006 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिल एवज 10,00,000/– रूपये में विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 2144 दिनांक 20–03–2006 को वादीगण के नाम स्वीकृत हो चुका है तथा वादीगण उक्त आराजियात के 1/4 हिस्से के खातेदार होकर काबिज हैं। उक्त क्रय शुदा आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 ने बाजार की कीमत लेकर उक्त भूमि का विक्रय किया है, जिसका उसे पूर्ण अधिकार था। अतः विवादित आराजियात का माप एवं सीमाओं अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण का 1/4 हिस्सा अलग से खाते में दर्ज कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि बाबत् एक वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व श्रीमती धूली व श्रीमकी कंकु पुत्री पूरा डांगी ने रोड़ा पिता पूरा के विरूद्ध एक वाद घोषणा एवं निषेधाज्ञा का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके मूलवाद के प्रकरण संख्या 280/2000 होकर प्रार्थना पत्र के प्रकरण संख्या 268/2000 में न्यायालय द्वारा रोड़ा के विरूद्ध दिनांक 28–04–2003 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी, किन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध रोड़ा द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील संख्या 23/2006 प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 07–05–2008 को खारिज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा है। इस प्रकार स्थगन होने के बावजूद रोड़ा द्वारा वादीगण के पक्ष में 1/4 हिस्से का विक्रय किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा श्रीमती धूली बाई, श्रीमती कंकू बाई, भैरूलाल, श्रीमती यशोदा, श्रीमती राधा के पक्ष में खातेदारी अधिकारी की घोषणा की जावे तथा वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द जावे।

प्रतिवादीगण के प्रतिदावे का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का मूलदावा 281 खारिज हो जाने से अस्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा स्वतः समाप्त हो गयी। विवादित भूमि में रोड़ा का 1/4 हिस्सा मौके पर रोड़ा का भौतिक कब्जा देखकर वादीगण द्वारा क्रय किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावे में थर्ड पार्टी को भी खातेदार घोषित किये जाने की मांग की है, जो विधि अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में कुल 4 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 05—01—2021 से वादीगण का वाद स्वीकार का विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की दो बहनें धूली बाई व कंकू बाई ने एक घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहां प्रस्तुत किया था, जो खारिज हो गया तथा उसकी अपील आर.ए.ए. न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दी गयी। उक्त दोनों निर्णय के विरूद्ध अपीलान्टगण ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गयी जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होकर उसके प्रकरण संख्या 4887/2010 हैं। इसलिए जब तक माननीय राजस्व मण्डल से मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक प्रारम्भिक डिक्री जारी ही नहीं की जा सकती थी, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री त्रुटि है। प्रारम्भिक डिक्री के नोटिस किसके आदेश से जारी किये गये, यह पत्रावली की आदेशिका से स्पष्ट नहीं है, जिससे प्रकट होता है कि अपीलान्टगण के नोटिस न तो चस्पा किये गये न ही कोई अपीलान्टगण के घर लेकर उन्हें उपस्थित हुआ, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से जल्दबादी में उक्त निर्णय पारित किया [illegible] जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested

योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2009 (1) सी. टी. पेज 269 एवं 2024 (1) आर.आर.टी. पेज 232 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्टगण व उसकी बहन श्रीमती धुली व श्रीमती कंकु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर खारिज कर दी गयी, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय हाजा के निर्णय को स्थगित किया गया है, जिसमें पक्षकारों के अधिकार तय होंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 3 व 4 का निर्णय प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण की पैरवी के अभाव में उनके विरूद्ध किया गया है। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि चूंकि अपीलान्टगण का घोषणा का दावा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में धारा 53 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है उसकी क्रियान्विति को रोका जाना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 05–01–2021 अपास्त की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**..... व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

भैरू डांगी पिता पूरा डांगी, निवासी नोखा, तहव गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**श्रीमती नन्दू कुमारी पत्नी गोविन्दलाल डांगी, नि. झाडोल, हाल नि0 102–बी, श्री गणपति अपार्टमेन्ट, न्यू भोपालपुरा, उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**21 / 2021**...व नाराजगी डिगरी अदालत..**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)**. .....**.....गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....05.**.....माह.....**01**.....**.....2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05.**....माह.....**11...**.....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री कैलाश नागदा.....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 05–01–2021 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05...**.....माह.....**..11**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:21:47 IST
Reason: SelfAttested